

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3698 / 11-सी-FP/UP/Water/152706/2022, लखनऊ, दिनांक: जून 23, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।

विषय:- जल जीवन मिशन के अंतर्गत पत्योरा डांडा ग्राम-समूह पेयजल योजना में पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जनपद-महोबा में प्रभावित 01 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 118 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद-हमीरपुर में प्रभावित 5.3 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 169 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 6.3 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 287 पौधों/वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-3148 / 33-1, दिनांक 17.06.2022
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

महोबा वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 1180 वृक्षों का वृक्षारोपण बिकगार्ड में प्रस्तावित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर अवनत वनभूमि वन ब्लॉक में स्थल का चयन कर चयनित अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, kml file एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में क्षेत्रफल व घनराशि सहित अपलोड करें।
2. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी०डी०एफ० फाइल एवं CA की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

हमीरपुर वन प्रभाग:-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-66 पर 225 बाधक वृक्षों की सूची एवं 383 ब्रिकगार्ड तथा पृष्ठ सं०-75 पर 225 बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, जबकि ऑनलाइन भाग-2 में 169 वृक्ष ही अपलोड है, जोकि विरोधाभास है। अतः सही बाधक वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहितसूची संलग्न करें एवं तदनुसार ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 6080 वृक्षों का वृक्षारोपण बिकगार्ड में प्रस्तावित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर अवनत वनभूमि वन ब्लॉक में स्थल का चयन कर चयनित अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, kml file एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में क्षेत्रफल व घनराशि सहित अपलोड करें।
3. ऑनलाइन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित अपलोड नहीं है। अतः सत्यापित Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-33 पर बाधक वृक्षों की सं० गलत अंकित है।
5. हार्डकापी भाग-2 में उपरोक्त बिन्दु-02 के अनुसार CA की घनराशि अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन अपलोड करें।
6. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी०डी०एफ० फाइल एवं CA की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करावें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3698 / 11-सी-FP/UP/Water/152706/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा/हमीरपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), महोबा।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक चित्तूर धाम वृत्त, पाँदा (उ.प्र.)।

पत्रांक - 3207/334/ दिनांक पाँदा जून 23, 2022

प्रतिनिधि - उमरागीय वनाधिकारी महेबा एवं धर्मपुर वन प्रभाग
को उपरोक्त दिये गये निर्देश के क्रम में किसी कार्य दिवस
में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा अस्ताव को 03 घण्टियाँ
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (उ.प्र.) लखनऊ से प्राप्त
कर, उक्त बेगन कामों का निराकरण कर अविलम्ब इस
कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

अशोक

10/8

अधारी उपवन संरक्षक
कार्यालय वन संरक्षण
चिन्मठस्थान बुलडा, वाराणसी

वन संरक्षक

चित्तूर धाम वृत्त, पाँदा